प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.06.2016 को वादिया श्रीमती मुकेश पत्नी राजेन्द्र नि0 घाटहेडा थाना रामपुर जनपद सहारनपुर के पति पर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ काला पुत्र शौरण सिंह नि0 हैदरपुर थाना कैराना जनपद शामली व अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से छाती पर गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 292/2016 धारा 307 भादवि में थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ काला की गिरफतारी दिनांक 16.07.16 को बरामदी बाद मु0अ0स0 314/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 529/2017 व 1242/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–06 स0पुर द्वारा आज दिनांक 06.03.21 को अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ काला को मु0अ0स0 292/16 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास व 7 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।